



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092022-238667
CG-DL-E-08092022-238667

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 8, 2022/भाद्र 17, 1944

No. 609]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2022/BHADRA 17, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2022

सं. 49/2022- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 689(अ).—जबकि, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कुछ वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो तत्काल कार्रवाई करने को आवश्यक बनाती हैं।

इसलिए, अब, केंद्र सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (इसके बाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची को निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया जाएगा, अर्थात्: -

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, -

(i) क्रमांक संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---------|-----------------------------------|-------|
| “6क | 1006 10 | भूसी में चावल (धान या खुरदुरा) | 20% |
| 6ख | 1006 20 | भूसी (भूरा) चावल | 20%”; |

(ii) क्रमांक संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियां के बाद, निम्नलिखित क्रमांक संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|------------|---|-------|
| “7क | 1006 30 90 | अर्द्ध मिल्ड या पूर्ण मिल्ड चावल, पॉलिशड या ग्लेज़ड हो या नहीं (पारबॉयल्ड चावल और बासमती चावल के अलावा) | 20%”; |

2. यह अधिसूचना 09 सितम्बर, 2022 से लागू होगी।

[फ. सं. सीबीआईसी-190354/242/2022-टीओ(टीआरयू-1)]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2022

No. 49/2022-Customs

G.S.R. 689(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that export duty should be levied on certain articles and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), the Central Government, hereby directs that the Second Schedule to the Customs Tariff Act shall be amended in the following manner, namely: -

In the Second Schedule to the Customs Tariff Act, -

(i) after Sl. No. 6 and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|------|---------|-----------------------------------|-------|
| “6A. | 1006 10 | Rice in the husk (paddy or rough) | 20% |
| 6B. | 1006 20 | Husked (brown) rice | 20%”; |

(ii) after Sl. No. 7 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|------|------------|---|-------|
| “7A. | 1006 30 90 | Semi-milled or wholly-milled rice, whether or not polished or glazed (other than Parboiled rice and Basmati rice) | 20%”; |

2. This notification shall come into force on the 09th of September, 2022.

[F. No. CBIC-190354/242/2022-TO(TRU-I)]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.